न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 115/2021(2021/435)

आरती मून्दड़ा पत्नि उमेश मून्दड़ा निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131भू.राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक– 17.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 131 का प्रस्तुत किया जिसकी जांच तहसीलदार सावर से करवायी गयी। तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया ।

तहसीलदार सावर द्वारा भू–अभिलेख बाजटा से जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे बताया गया कि ग्राम राजपुरा की जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 217 अनुसार खसरा नम्बर 610 रकबा 0.05 किस्म बा–2 एवं 973/610 रकबा 0.07 किस्म औद्योगिक खातेदार शैतानराम पुत्र मोहनलाल जाति मीणा के नाम दर्ज है। संलग्न मिलान क्षेत्रफल प्रमाणित नकल की फोटो प्रति अनुसार खसरा नम्बर 610 रकबा 0.12 किस्म बा–2 पूर्व खसरानम्बर 42 रकबा 0.12 से ही बना है। खसरा नम्वर 610 रकबा 0.12 में से 0.07 हैक्ट भुमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ आदेशानुसार उक्त खसरा नम्बर 610 रकबा 0.05 की किस्म बा–2 एवं 973/610 रकबा 0.07 औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज हुए है। नक्शा किस्तवार वर्ष 1970–71 सवंत 2026 की प्रमाणित प्रति में खसरानम्बर 42 के नक्शे का मिलान वर्ष 1983–84 संवत 2039–40 के खसरा नम्बर 610 के उपर रख कर करने पर नवीन खसरानम्बर 610 एवं पुराने खसरानम्बर 42 के नक्शों में भिन्नता पायी गई है। नवीन खसरानम्बर 610 की पश्चिमी मेड एवं दक्षिणी मेड का कटान बिन्दू पुराने खसरानम्बर 42 के पश्चिमी मेड एवं दक्षिणी मेड के कटान बिन्दू से मिलान नही होकर उत्तर दिशा की ओर खिसका होने के कारण पश्चिमी मेड की लम्बाई कम हो गई है। प्रमाणित नक्शा किस्तवार प्रतिलिपि वर्ष 1970–71 के अनुसार खसरानम्बर 42 की पश्चिमी मेड की लम्बाई का माप 38 मीटर आता है। नक्शा वर्ष 1983–84 में खसरानम्वर 610 की पश्चिमी मेड की लम्बाई नक्शा किस्तवार वर्ष 1970–71 के खसरा नम्बर 42 की पश्चिमी मेड की लम्बाई अनुसार 38 मीटर की जाकर खसरा नम्बर 610 की तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित बताया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सावर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम राजपुरा के नक्शा वर्ष 1983–84 में खसरानम्बर 610 की पश्चिमी मेड की लम्बाई नक्शा किस्तवार वर्ष 1970–71 के खसरा नम्बर 42 की पश्चिमी मेड की लम्बाई अनुसार 38 मीटर की जाकर खसरा नम्बर 610 की तरमीम दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner